प्रथम चक्र की रिपोर्टिंग हेतु ध्यान रखने योग्य मुख्य बिन्दू

1. ट्यूशन फीस केवल ऑनलाईन ही जमा की जावेगी।

2. प्रत्येक छात्र को ट्यूशन फीस जमा कराने के लिए यूनिक खाता नम्बर संबंधित छात्र के आवंटन–पत्र में अंकित होगा। अतः छात्र स्वंय के आवंटन–पत्र में अंकित खाते नम्बर में ही ट्यूशन फीस जमा करावे।

3. रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक छात्र सभी सुसंगत मूल दस्तावेजों के साथ–साथ उक्त मूल दस्तावेजों की छायाप्रतियों के दो सेट भी साथ लायेगा।

4. राजकीय / राजमेस/ आरयूएचस के मेडिकल /डेन्टल कॉलेज में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रारूप में निर्धारित राशि के स्टॉम्प पर बॉण्ड तैयार कराकर नोटेरी कराकर रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत किया जावेगा। बॉण्ड के लिए स्टॉम्प वेण्डर एवं नोटेरी की सुविधा रिपोर्टिंग स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी।

5. छात्र यह सुनिश्चित कर लेवें कि ग्यारहवी की मार्कशीट/पासिंग सर्टिफिकेट/क्रमोन्नयन प्रमाण–पत्र में उसके द्वारा ग्यारहवी कक्षा में अध्ययन किए गए सभी विषयों (विशेष रूप से बॉयोलाजी विषय) का उल्लेख हो। यदि मार्कशीट/पासिंग सर्टिफिकेट/क्रमोन्नयन प्रमाण–पत्र में गयारहवी कक्षा में अध्ययन किए गए विषयों का उल्लेख नहीं हो तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से ग्यारहवी कक्षा में अध्ययन किए गए सभी विषयों के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत करेंगे।

6. प्रथम चक्र की रिपोर्टिंग के समय केवल एक वर्ष की ट्यूशन फीस ही जमा कराई जानी है। इसके अलावा अन्य कोई राशि जमा नहीं कराई जानी है, ना ही कोई ओपचारिकता पूर्ण की जानी है।

7. यदि किसी मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि के द्वारा किसी प्रकार की गैर कानूनी मांग की जाती है अथवा रिपोर्टिंग के समय परेशान किया जाता है तो छात्र के द्वारा एकेडमिक ब्लॉक के कमरा नम्बर 114 में सम्पर्क किया जा सकता है।